मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एफ 19-180/1999/1/4 भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर, 1999.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—अवैध गतिविधि जांच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही.

अवैध गतिविधि जांच आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनेक अनुशंसायें की हैं. उनमें से एक निम्नानुसार है:—

"राजनीतिज्ञों एवं शासकीय पदाधिकारियों को स्वयं एक आचरण संहिता विकसित करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यों से किसी भी प्रकार यह संदेह उत्पन्न नहीं हो कि अपराधिक तत्वों को उनके द्वारा संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है. सामान्य नागरिक के रूप में भले ही राजनातिज्ञों के रूप में भले ही राजनीतिज्ञों एवं शासकीय पदाधिकारियों को किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहने की स्वतंत्रता हो परन्तु लोक पदाधिकारी के रूप में उनका यह दायित्व है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि वे संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों व अपराधियों द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं है. पुलिस की स्थानीय गुप्तचर शाखा द्वारा ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है. लोक पदाधिकारी स्वयं के हित में किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के पूर्व स्थानीय पुलिस गुप्तचर शाखा से अनापत्ति प्राप्त कर आलोचना से एवं अपराधिक व्यक्तियों से सम्बद्ध होने के आरोप से बच सका है".

2. उक्त अनुशंसा/निष्कर्ष पर राज्य शासन ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया है :—

"प्रदेश के सभा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं लोक-पदाधिकारियों को आयोग की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा जाय. पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए जाए कि समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त जानकारी एकत्रित करें एवं राजनीतिज्ञों एवं लोक-पदाधिकारियों द्वारा चाहे जाने पर उन्हें तत्समय उपलब्ध कराई जाए".

3. उपरोक्त अनुशंसा एवं संकल्प के संबंध में सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संदिग्ध आचरण वाले व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध न रखें और ऐसे व्यक्तियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं समारोहों में भाग न लें. संदिग्ध्य आचरण वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी स्थानीय पुलिस से प्राप्त की जा सकती है. शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे ऐसे जानकारी रखें और मांगे जाने पर शासकीय अधिकारियों को उपलब्ध करायें. जब भी शासकीय अधिकारियों को किसी समारोह या कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त हो तो उसमें भाग लेने के पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि ऐसा समारोह/कार्यक्रम किसी संदिग्ध आचरण वाले व्यक्ति या संस्था द्वारा तो आयोजित नहीं किया जा रहा है. यदि ऐसा हो तो उसमें भाग नहीं लिया जाना चाहिये और किसी प्रकार से उनके आयोजन में सहयोग नहीं किया जाना चाहिये न ही उससे कोई संबंध रखा जाना चाहिये.

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.